बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा फरवरी, 2017 दिनांक–18.02.17 को प्रथम पाली की परीक्षा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार स्थित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक की हैसीयत से श्री वासुदेव साहु, तत्कालीन प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा, पूर्णियाँ द्वारा बरती गयी घोर अनियमितता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता के आलोक में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के पत्रांक–196 दिनांक–03.03.17 द्वारा श्री साहु के विरूद्ध कुल पाँच आरापों के लिए प्रपत्र–'क' गठित करसाक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। श्री साहु के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत हैं–

i. दिनांक–18.02.2017 को पेपर–I की परीक्षा 10:00 बजे पूर्वाह्न से निर्धारित थी, किन्तु परीक्षार्थियों को विलम्ब से 11:45 बजे पूर्वाह्न में ओ०एम०आर० सीट एवं12:00 बजे मध्याह्न में प्रश्न–पत्र उपलब्ध कराया जाना। परीक्षा की निर्धारित 3 घंटे की अवधि के पहले ही 1:00 बजे अपराह्न में वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों से OMR Sheet ले लिया जाना। परीक्षार्थियों को निर्धारित तीन घंटा का समय प्रश्न–पत्रों का उत्तर देने हेतु नहीं दिया जाना जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होना।

ii. परीक्षा के लिए निर्धारित समय परीक्षार्थियों को उपलब्ध नहीं कराकर उन सबो के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना।

iii. श्री साहु के उक्त कृत्य से परीक्षा केन्द्र की शांति व्यवस्था भंग होना एवं केन्द्राधीक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जाना।

iv. बिना सूचना एवं बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के श्री साहु के द्वारा मुख्यालय छोड़कर बाहर चले जाना।

v. श्री साहु को औ० प्र० संस्थान कटिहार परीक्षा केन्द्र का दिनांक–02.02.2017 से 01.03. 2017 तक केन्द्राधीक्षक बनाया गया था, लेकिन परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य को बीच में ही बिना अनुमति के परीक्षा केन्द्र छोड़कर चले जाना। विभागीय आदेश का भी स्पष्ट उल्लघंन किया जाना।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम 19 (1) (क) के उपबंधो के आलोक में विभागीय पत्रांक–661 दिनांक–20.03.17 द्वारा श्री साहु से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तदालोक में श्री साहु के द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–29.03.17 समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण का अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री साहु के द्वारा उक्त मामलें में लापरवाही बरती गयी है। अतः .नैसर्गिक न्याय का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विभागीय पत्रांक–1609 दिनांक–30.06.17 के द्वारा श्री साहु से द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. पुनः अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री साहु के समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण पत्रांक–04 दिनांक–11.07.17 की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि परीक्षा संचालन में बरती गयी लापरवाही के संबंध में जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन पर श्री साहु के द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया है एवं छात्रों पर यह आरोप लगाने की कोशिश की है कि नकल एवं कदाचार नहीं करने देने के कारण उनके द्वारा विधि–व्यवस्था की स्थिती उत्पन्न की गयी, जबकी वहाँ पर जिला पदाधिकारी द्वारा स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। इस प्रकार श्री साहु का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया एवं श्री साहु के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग V के नियम14 के कंडिका(V) के अलोक में श्री वासुदेव साहु,तत्कालीन प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा, पूर्णियाँके विरूद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

कृ०पृ०उ०

निबंधित डाक

5. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारीश्री वासुदेव साहु, तत्कालीन प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा, पूर्णियाँको निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6 / श्रम वि० आ० (01)– 09 / 2017 श्र०सं०–पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6 / श्रम वि० आ० (01)– 09 / 2017 श्र०सं०–पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6 / श्रम वि० आ० (01)– 09 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6 / श्रम वि० आ० (01)– 09 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–श्री वासुदेव साहु, तत्कालीन प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा, पूर्णियाको सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6 / श्रम वि० आ० (01)– 09 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6 / श्रम वि० आ० (01)– 09 / 2017 श्र०सं०– 2668 पटना, दिनांक– 10/10/2017
प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव, अवर सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी गोपनीय चारित्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

10/10/17
सरकार के उप सचिव
10/10/17